संख्या-20/2018/2643/सैंतीस-2-2017-1(32)/2015टीसी

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-07 मार्च, 2018

विषयः-**चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/व्यय किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-279/सा0-1/एक्स-84(120)/बहु.स.प.चि.से./2017-18, दिनांक-12.12.2017 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-38/2017/709/सैंतीस-2-2017-1(32)/2015टीसी, दिनांक-14.06.2017 व शासनादेश संख्या-15/2018/242/सैंतीस-2-2018-1(32)/2015, दिनांक-13.02.2018 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा बिक्री दर में की गयी 01 प्रतिशत वृद्धि के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना) के मानक मद 14-मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत रू0-28.83052 लाख (रूपये अठ्ठाईस लाख तिरासी हजार बावन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही मे0 टाटा मोटर्स लि0 को नियमानुसार भुगतान किये जाने की स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. संबंधित फर्म मे0 टाटा मोटर्स लि0 को भुगतान किये जाने से पूर्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि समस्त वाहनों की आपूर्ति विभाग को हो चुकी है।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी स्तर पर पी.एल.ए./बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि से क्रय किये गये वाहनों का उपयोग मार्ग-निर्देशिका में वाहन संचालन हेतु दिये गये निर्देशानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. वाहन हेतु अनुमन्य धनराशि/स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-09-बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवायें (राज्य योजना)-14-मोटर गाडियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-यू.ओ.-ई-2-212/दस-2018, दिनांक-06.03.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-20/2018/2643(1)/सैंतीस-2-2017- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।